न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : डॉ0 मधु खरे

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 249–एक/2013 – विरूद्ध आदेश दिनांक 30.10.2012 – पारित व्दारा – अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन – प्रकरण कमांक 274/2011–12 अपील

श्रीमती अयोध्यावाई पत्नि स्व.छीतू धोबी
ग्राम गंजपुरा तहसील सोनकच्छ
जिला देवास, मध्य प्रदेश ---आवेदक

विरूद्ध

नन्दराम (मृत) पुत्र रामाजी धोबी
वारिस
1– रामकुॅवर वाई पत्नि स्व.नंदराम
2– लच्छु पुत्र स्व. नंदराम धोबी
3– संतोष पुत्र स्व. नंदराम धोबी
4– कमल पुत्र स्व. नंदराम धोबी
5– कु.कमला पुत्री नंराम धोबी
सभी निवासीगण गंजपुरा सांवेर
तहसील सोनकक्ष जिला देवास ----अनावेदकगण

(श्री अमित गोयल अभिभाषक – आवेदक)
(श्री एस0एस0सिसोदिया अभिभाषक – अनावेदकगण)

आ दे श

(दिनांक 30 जनवरी 2016)

यह निगरानी अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा प्रकरण कमांक 274/2011–12 अपील में पारित आदेश दिनांक 30.12.2012 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक नेनायब तहसीलदार सोनकक्ष के समक्ष मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 109, 110 के अंतर्गत आवेदन देकर मांग की कि ग्राम सॉवेर स्थित कृषि खाता नंबर 319 पर धारित सर्वे नंबर 629 रकबा 0.930

हैक्टर, 630 रकबा 0.570 हैक्टर, 631 रकबा 0.560 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 2.060 हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) नन्दु, किशन एंव पिता रामा के नाम की है । यह भूमि पैत्रिक है मृतक रामा के तीन पुत्र मांगीलाल, नन्दू, किशन एंव एक पुत्री अजोध्या वाई है जिनमें से मांगीलाल अविवाहित रहते हुये मृत हुआ है जिसके हिस्से की भूमि के वारिस नन्दू, किशन एंव आवेदक है। किशन की भी बेओलाद मृत्यु हो चुकी है। आवेदक विधवा बहिन होने से मृतक किशन हमेशा उसके साथ रहा है मृतक किशन ने अपने जीवन काल में बसीयत भी की है, जिसके मरने पर उसका क्रियाकर्म आवेदक के पुत्र ने किये हैं तथा किशन के हिस्से की भूमि पर आवेदक ही खेती करते आई है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत 1/2 हिस्से की वारिस आवेदक है इसलिये वादग्रस्त भूमि के 12 वीघा पर एंव आवेदक के हिस्सा साढ़े सात वीघा पर नामांतरण कराने की अधिकारी है। वादग्रस्त भूमि 2.060 हैक्टर पर आवेदक का नामान्तरण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम एंव बसीयतनामे के आधार पर किया जाय। नायव तहसीलदार सोनकक्ष ने प्रकरण कमांक 8 अ-6/2010-11 पंजीबद्ध किया तथा पक्षकारों की सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 29.6.2011 पारित करके वादग्रस्त भूमि के हिस्सा 1/2 समान भाग पर श्रीमती अयोध्यावाई एंव नन्दराम का हिस्सा मानकर श्रीमती अयोध्यावाई के नाम 1/4 एंव नन्दराम के नाम पूर्व में दर्ज भूमि हिस्सा 3/4 पर अमल करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी सोनकक्ष के समक्ष अपील होने पर प्रकरण कमांक 42/10-11 अपील में पारित आदेश दिनांक 16-1-12 से नायव तहसीलदार का आदेश निरस्त किया गया तथा प्रकरण नामान्तरण के निर्देश देकर प्रत्यावर्तित किया गया। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन के समक्ष अपील होने पर प्रकरण कमांक 274/2011-12 अपील में पारित आदेश दिनांक 30.10.2012 से अपील अस्वीकार की गई। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा लेखी बहस पर विचार करने के साथ अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ अधीनस्थ नायव तहसीलदार न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन पर स्थिति यह है कि नायव तहसीलदार के प्रकरण कमांक 8 अ-6/10-11 में पृष्ठ कमांक 35 से 37 पर नब्बीवाई पत्नि नाथूराम व्दारा वादग्रस्त भूमि को दान में दिये जाने वावत् लिखाया गया पंजीकृत दानपत्र दिनांक 7-3-67 की छायाप्रति संलग्न है जो केवल मांगीलाल, नन्दू, किशन के हित में है। इस दानपत्र में सर्वे कमांक 663/23 रकबा 23 वीघा में से 10 वीघा भूमि मांगीलाल, नन्दू तथा किशन के हित में दान संपादित करने का उल्लेख है जबकि वादग्रस्त भूमि का खसरा सर्वे नंबर 629, 630, 631 कुल रकबा 2.60 हैक्टर है। दान में प्राप्त भूमि तथा विवादग्रस्त भूमि एक ही है अथवा प्रथक प्रथक है इस बात की जांच भी अधीनस्थ न्यायालय व्दारा नहीं की गई है।

6/ अनुविभागीय अधिकारी सोनकक्ष के प्रकरण कमांक ~~42/10/0711~~ 42/10-11 अपील के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपील प्रकरण में कमल दत्तक पुत्र किशन धोवी ने व्यवहार प्रक्रिया संहिता आदेश एक नियम 10 के अंतर्गत आवेदन देकर स्वयं को किशन का दत्तक पुत्र बताते हुये पक्षकार के रूप में नाम जोड़ने की मांग की है एंव अनुविभागीय अधिकारी सोनकक्ष ने कमल दत्तक पुत्र किशन धोवी को पक्षकार बनाये जाने के सम्बन्ध में किसी भी आदेश पत्रिका में निर्णय नहीं लिया है, अपितु अंतिम आदेश दिनांक 16-1-12 के अंतिम पद में इस प्रकार निर्णय लिया है :-

" अतएव अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधिपूर्ण नहीं होने से यह अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करते हुये प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रेषित किया जाता है कि

कमल दत्तक पुत्र किशन के सम्बन्ध में विधिवत् सुनवाई करने के पश्चात् यदि कमल वर्ग-1 का वारिस है तो किशन की जगह कमल का नामांत्रण स्वीकार किया जावे "।

कमल पुत्र नन्दराम तहसील न्यायालय में पक्षकार नहीं है। यदि वह किशन का दत्तक पुत्र था, तब किशन की मृत्यु दिनांक 24-6-2009 से अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत आपत्ति दिनांक 13-1-11 तक उसने नामान्तरण का आवेदन क्यों नहीं दिया अथवा तहसील के प्रकरण में पक्षकार क्यों नहीं बना - दत्तक होने पर संदेह उत्पन्न करता है अतएव जब वह तहसील न्यायालय में हितबद्ध पक्षकार नहीं है तब अपीलीय न्यायालय में भी उसे पक्षकार नहीं बनाया जा सकता, किन्तु अनुविभागीय अधिकारी ने इस तथ्य को अनदेखा करते हुये आदेश पारित किया है जिसे स्थिर नहीं रखा जा सकता। विचाराधीन निगरानी में कमल पक्षकार के रूप में प्रतिप्रार्थी मृतक नन्दराम का पुत्र होने की सीमा तक पक्षकार माना जावेगा।

7/ नायव तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत नामान्तरण के मूल दावे के साथ महिला अजोध्यावाई ने मृतक किशन का मृत्यु प्रमाण पत्र एंव किशन व्दारा बसीयत करना बताया है परन्तु साक्ष्यों से बसीयत प्रमाणित नहीं मानी गई है। नायव तहसीलदार ने वादग्रस्त भूमि मांगीलाल, किशन तथा नन्दराम के नाम पर आने से पूर्व रिकार्ड में किसके नाम पर दर्ज थी ? उन्हें भूमि किस प्रकार से प्राप्त हुई ? उनके व्दारा क्रय की गई अथवा दान या पिता के पश्चात् बिरासत में प्राप्त हुई - इस सम्बन्ध में जांच करना चाहिए थी, क्योंकि यदि विचाराधीन भूमि मूल रूप में आवेदिका तथा अनावेदकगण के पिता के नाम पर पाई जाती है तो आवेदिका उस पर अपने हिस्से के लिये आवेदन कर सकती है परन्तु यदि मृतक किशन के नाम पर

दर्ज भूमि उसकी स्वअर्जित , दान आदि से प्राप्त है तो अलग स्थिति होगी।

8/ प्रकरण में आये तथ्यों से मांगीलाल, नन्दू , किशन व्दारा दान में प्राप्त की गई वादग्रस्त भूमि पर मृतक मांगीलाल के हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है क्योंकि मांगीलाल के हिस्से की भूमि पूर्व में नन्दू उर्फ नन्दराम एंव किशन के नाम खसरों में अंकित हो चुकी है । इस पर तत्समय आवेदिका व्दारा भी कोई आपत्ति की गई हो ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। विवाद केवल मृतक किशन के हिस्से की भूमि का है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 4 में बताया गया है कि न्यायगमन किसी विधि, रूढ़ि या चलन के प्रतिकूल होते हुये भी भूमिस्वामी की मृत्यु पर उसका हित किस उत्तराधिकार क्रम के अनुसार किसे न्यायगमित होगा। परन्तु नायव तहसीलदार एंव अनुविभागीय अधिकारी ने इन तथ्यों की अनदेखी की है जिसके कारण उनके व्दारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं हैं तथा अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग उज्जैन ने प्रकरण की वास्तविक स्थिति तक न पहुंचकर अपील निरस्त करने में भूल की है जिसके कारण तीनों अधीनस्थ न्यायालयों व्दारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं हैं।

9/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी आंशिकरूप से स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग उज्जैन व्दारा प्रकरण क्रमांक 274/2011-12 अपील में पारित आदेश दिनांक 30/10-12, अनुविभागीय अधिकारी सोनकक्ष व्दारा प्रकरण क्रमांक 42/10/11 अपील में पारित आदेश दिनांक 16-1-12 एंव नायव तहसीलदार सोनकक्ष व्दारा प्रकरण क्रमांक 08/अ-6/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 29-6-2011 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं तथा प्रकरण तहसीलदार सोनकक्ष की ओर इस निर्देश के

साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वह जांच करें कि :-

1. क्या वाद विचारित भूमि आवेदिका की पैत्रिक संपत्ति है अर्थात उसके पिता स्वर्गीय राम के नाम रही है।
2. क्या वाद विचारित भूमि पूर्व में दानदाता महिला नब्बी वाई पत्नि स्व.नाथूराम के नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर रही है उसके दान दिये जाने के वाद मांगीलाल, नन्दू, किशन के नाम हुई है।
3. यदि मांगीलाल, नन्दू, किशन को भूमि दान में प्राप्त हुई है तब क्या हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में दी गई व्यवस्था अनुसार आवेदिका ऐसी भूमि में हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारिणी है ?

उपरोक्त छानबीन एंव पुष्टिकरण करते हुये उभय पक्ष को साक्ष्य एंव सुनवाई का समुचित देते हुये पुनः विधिवत् आदेश पारित किया जावे।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर